भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1379
गुरूवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक)

असम में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों का कल्याण

1379. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वर्तमान में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी कितनी है, इसका अंतिम संशोधन कब किया गया था तथा पंजीकृत सम्पदा में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और आयुष्मान भारत योजना के कवरेज का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नियोक्ताओं द्वारा लंबित अंशदान का ब्यौरा क्या है और दिसंबर, 2026 तक सभी चाय बागानों में शिशुगृह (क्रेच), आवास और सुरक्षित पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संबंधित मानकों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): मजदूरी संहिता, 2019, दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हुई है, जिसके माध्यम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित चार केंद्रीय श्रम कानूनों के उपबंधों का समावेशन किया गया। इस संहिता का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम मजदूरी की प्रयोज्यता को सार्वभौमिक बनाना है।

मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंधों के अधीन, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों सहित समुचित सरकारों को अपने-संबधित अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रोजगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण, समीक्षा, संशोधन तथा प्रवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। असम के चाय बागान कामगारों के संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है। अतः, असम सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरें ही लागू होती हैं।

जारी–2/-

बागान श्रम अधिनियम, 1951, जिसके उपबंधों का अब उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समावेशन कर दिया गया है, नियोजकों के लिए चाय बागानों सहित बागान कामगारों को आवास, चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि जैसी मूलभूत कल्याणकारी सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने का अधिदेश देता है। असम राज्य सरकार भी शिशुगृह, आवास तथा पेयजल सुविधाओं के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए संगत श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

इसके अतिरिक्त, कोई भी चाय बागान, जिसमें दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हों या इस योजना के प्रवर्तन की तिथि से पूर्ववर्ती बारह माह की अवधि में किसी भी समय नियोजित थे अथवा कोई भी चाय बनाने वाला कारखाना, जिसमें दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हों, को असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं डीएलआई निधि योजना अधिनियम, 1955 (असम अधिनियम 1955 का X,) के अधीन अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना अपेक्षित है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 बागान मालिकों को अपने कामगारों को ईएसआईसी के सदस्यों के रूप में नामांकित करने का विकल्प प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, पंजीकृत चाय बागानों के अंतर्गत वे सभी कामगार, जिनके पास एनएफएसए राशन कार्ड हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया गया है।
